7. जांचकर्त्ता एजेंसी की भूमिका

मंत्रालय किसी ऐसी एजेंसी को जांच एजेंसी के रूप में नियुक्त कर सकता है जो बाल कल्याण और कल्याण के क्षेत्रों में विशेषज्ञों का निकाय है और दत्तकग्रहण क्षेत्र में बच्चों के स्थापन कार्य से स्वयं किसी तरह से सम्बद्ध नहीं है। न्यायलय, परिस्थिति के अनुसार केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य एजेंसी को जांच एजेंसी नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त होगी।

8. विविध

भारत सरकार के लिए यह वांछनीय होगा कि वे उन देशों के साथ द्विपक्षीय करार करे जो दत्तकग्रहण के उद्देश्य के लिए भारत से बच्चे प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे द्विपक्षीय करारों में भारत के उपयुक्त प्राधिकारियों तथा प्राप्तकर्त्ता राज्य के बीच पूर्ण समन्वय के लिए और प्राप्तकर्ता राज्य में दत्तकग्रहण हेतु लिए गए बच्चों की सुरक्षा और कल्याण का प्रावधान किया जाएगा।

(ग) कृतिक बल की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वीकृत ऋण

1796. **श्री राम रतन राम** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वित्त एवम् विकास निगम द्वारा विशेष संघटक योजना के अंतर्गत वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान कुल कितने लोगों को ऋण दिया गया;

(ख) उनमें से फर्जी लोगों की कुल संख्या कितनी है, जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) फर्जी लोगों तथा उन्हें ऋण वितरित करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने इसके द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 (जनवरी, 94 तक) में 1,67,564 लाख परिवारों को ऋण प्रदान किया है।

(ख) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम द्वारा 5 शिकायतें प्राप्त की गई हैं।

(ग) तीन शिकायतों में वास्तविकता नहीं थी। शेष दो मामलों की जांच के लिए जिला पदाधिकारियों को सौंपा गया है। जांच पूरा होते ही आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

Grants by made ITDA in Andhra Pradesh

1797. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that ITDAs in Ahdhra Pradesh grant loans repeatedly to the same beneficiaries or their nominees;

(b) Whether any complaints have reached the Ministry of Welfare in this regard;

(c) Whether this issue has been taken up with Government of Andhra Pradesh; and

(d) What guidelines will be issued to the State Governments to ensure that ITDA programmes are not carried by a few people ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) Information has been called for from the Government of Andhra Pradesh.

(b) Yes, Sir. A complaint has been received from Shri V. Hanumantha Rao, M.P.

(c) The complaint has been referred to the Government of Andhra Pradesh for a report.

(d) The question of issue of guidelines will be considered on receipt of information and report from the Government of Andhra Pradesh.

Posting of Officers in Tribal Areas

1798. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) to what extent the Government of Andhra Pradesh has fulfilled its assurance of posting full time officers at Mandal level in all the tribal areas ; and

(b) the details of steps taken in this regard in Andhra Pradesh ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI) : (a) and (b) Information is being collected from Government of Andhra Pradesh and it will be laid on the Table as soon as it is received.

सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास

1799. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास के सम्बन्ध में घोषित योजनाएं असफल सिद्ध हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य वार निर्धारित लक्ष्य क्या थे तथा उनकी प्राप्ति कहां तक हो पायी है ;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्य वार कितनी धनराशि दी गई है और इस में कितनी राशि आबंटित की गई है ;

(घ) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में सहयोग नहीं दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ङ) सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की योजना वित्तीय वर्ष 1991-92 के अंत में आरम्भ की गई थी । प्रत्येक वैयक्तिक सफाई कर्मचारी की पहचान के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण का काम 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ क्षेत्र राज्य पॉडिचेरी, में पूरा किया जा चुका है । अन्य राज्यों में अभी सर्वेक्षण चल रहा है । अभी तक लगभग 6.75 लाख सफाई कर्मचारियों की पहचान की गई है । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1992-93 के दौरान 27,618 सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने व 65,140 का पुर्नवास करने के लक्ष्य के मुकाबले 15,592 को प्रशिक्षित व 19,189 का पुनर्वास किया गया है । इस प्रकार राज्यों द्वारा वांछित स्तर तक योजना का कार्यान्वयन नहीं किया गया है ।

सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति व पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों की आवश्यकताओं के आधार पर प्रदान की जाती है । विभिन्न राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्रों को 1991-92 के दौरान 50.50 करोड़ रुपये तथा 1992-93 के दौरान 60.73 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई थी । राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है ।